

संख्या - 3808

दिनांक 15/11/2019



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीकरण संख्या - 1139/2019-20

फाइल संख्या V- 29597

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि विमला यादव शिक्षा समिति, एकावस
सोसाइटी भित्तरी, जिला गाजीपुर।

को दिए गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या - 741/2004-2005

दिनांक 06-10-2004 का दिनांक 06-10-2019 से पाँच वर्ष की अवधि
के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1150/- रुपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 04-11-2019

विमला यादव
एकावस फंडेशन, गीतिका

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

5RS



विमला यादव 12/11/2017

सिद्धि
 नंबर नं० V. 29597 का 1/11/2017 को काकावस पट्टी मितरो (गजपुड)



✓
 काकावस मितरो
 काकावस पट्टी मितरो
 12/11/17

Y.K. Yadav,
 विमला यादव महाविद्यालय
 काकावस पट्टी मितरो-गाजीपुर

5RS



विमला यादव 12/11/2016

21/11/16
10995-97 के प्रमाण परी मायफारम के मायने लायके



सहायक निदेशक
फर्स्ट पोस्टाली
16-11-16

१५.११.१६
विमला यादव महाविद्यालय
पकायस पट्टी भितरो-गाजीपुर

§ स्मृति-पत्र §

- 1- संस्था का नाम :-
- 2- संस्था का पता :-
- 3- संस्था का कार्यक्षेत्र :-
- 4- संस्था के उद्देश्य :-

Rajesh Singh Yadav
विमला थादव
P.K. Yadav
S.S. Yadav

विमला थादव

विमला थादव

अच्छे दिन

Vijay Singh

Shamsher Singh

संस्था

विमला थादव

विमला थादव शिक्षा समिति ।
रकावत पट्टी भित्तरी जिला-गाजीपुर।
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
संस्था के निम्नीलीयत उद्देश्य होंगे :-

- 1- बालक-बालिकाओं के शैक्षिक विकास एवं उत्थान के लिये निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उसे संचालित करना।
- 2- नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं का समुचित व्यवस्था करना।
- 3- ज्ञान-विज्ञान, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना।
- 4- खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना।
- 5- निर्धन असहाय तथा भेषापी छात्र-छात्राओं के लिये पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्त आदि की सुविधाये उपलब्ध कराना।
- 6- निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।
- 7- कम्प्यूटर जैसे आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- 8- विकलांगों के लिये विकलांग विद्यालयों की स्थापना करना तथा उसे संचालित करना।
- 9- उच्च शिक्षा के लिये स्नातक, स्नातकोत्तर, महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उसे संचालित करना।
- 10- प्राविधिक, तकनीकी, सांस्कृतिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

5- प्रबंधकारियों समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है -

- 29र

संस्था प्रमुख

विमला थादव
संस्था प्रमुख
संस्था प्रमुख

P.K. Yadav
उद्देश्य

विमला थादव महाविद्यालय

क्र० सं० नाम	पता	पद	व्यवसाय
1- श्री राजेश सिंह यादव पुत्र श्री शंकर सिंह यादव	सकावसपट्टी भित्तरी, जिला-गाजीपुर	अध्यक्ष	अध्ययन
2- श्रीमती विमला यादव पत्नी श्री शंकर सिंह यादव	"	उपाध्यक्ष	"
3- श्री योगेश सिंह यादव पुत्र श्री शंकर सिंह यादव	"	प्रबंधक/मंत्री	"
4- " शंकर सिंह यादव पुत्र श्री जतिरका यादव	"	उपप्रबंधक/उपमंत्री	"
5- " कैलाश सिंह यादव पुत्र श्री दुखरन यादव	सइवना देवकली, जिला- गाजीपुर	कोषाध्यक्ष	"
6- " विजय बहादुर यादव पुत्र रामकृत यादव	सकावसपट्टी, भित्तरी, जिला-गाजीपुर	सदस्य	"
7- " अछे लाल यादव पुत्र स्व० रामशूरत यादव	"	"	"
8- " विजय बहादुर यादव पुत्र स्व० दासा यादव	सोकनो वधेपुर, जिला-गाजीपुर	"	"
9- " सहेन्द्र यादव पुत्र श्री रघुनाथ यादव	दुधैया जेवल, जिला-गाजीपुर	"	नौकरी
10- श्रीमती इन्दू यादव पत्नी श्री जितेन्द्र यादव	रामचन्द्रपुर जिला- वाराणसी	"	गृहणी
11- श्री गजराज यादव पुत्र श्री सुमेलगन यादव	सकावसपट्टी, भित्तरी, गाजीपुर	"	कृषि

6- इस निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृति-पत्र के नियमों के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रार को धारा 21 तन् 1980 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना बाह्य है।

क्र० सं० नाम	पता	हस्ताक्षर
1- राजेश सिंह यादव	सकावसपट्टी, भित्तरी जिला-गाजीपुर	Rajesh Singh Yadav
2- विमला यादव	"	विमला यादव
3- योगेश सिंह यादव	"	F.K. Yadav
4- शंकर सिंह यादव	"	S. Q. Yadav
5- कैलाश सिंह यादव	सइवना देवकली जिला- गाजीपुर	कैलाश सिंह यादव
6- विजय बहादुर यादव	सकावसपट्टी, भित्तरी, गाजीपुर	विजय बहादुर यादव
7- अछे लाल यादव	"	अछे लाल यादव
8- विजय बहादुर यादव	सोकनो वधेपुर, गाजीपुर	विजय यादव
9- सहेन्द्र यादव	दुधैया जेवल, गाजीपुर	सहेन्द्र यादव
10- इन्दू यादव	रामचन्द्रपुर वाराणसी	इन्दू यादव
11- गजराज यादव	सकावसपट्टी, भित्तरी, गाजीपुर	गजराज यादव

सत्य प्रामाण्य

दिनांक 15-8-2014

सचिव

F.K. Yadav

.....
नियमावली

- 1- संस्था का नाम :- विमला यादव शिक्षा समिति ।
 2- संस्था का पता :- स्कावस पट्टी भित्तरी छिन्ना-गाजीपुर ।
 3- संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
 4- संस्था को सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

- =====
- अ- आजीवन सदस्य :- संस्था को सदस्यता निम्नवत होगी :-
 वे व्यक्ति जो संस्था को 5000/-रु नकद धनराशि एक बार
 में देंगे, वे व्यक्ति संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे ।
- ब- सामान्य सदस्य :- वे व्यक्ति जो संस्था को 500/- रु वार्षिक सदस्यता शुल्क
 के रूप में जमा करेंगे, वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगे।
- स- विशेष सदस्य :- वे समाज के सम्मानित व्यक्ति जो संस्था को सुधार रूप से
 संस्थान के लिये तन मन स्वयं धन से पूर्ण स्वेच सहयोग देंगे, स्व
 संस्था के हित में विशेष योगदान करेंगे, वे संस्था के प्रबंध-
 समिति के 2/3 बहुमत से विशेष सदस्य मनोनीत कर लिये
 जायेंगे ।

- 5- सदस्यता को समाप्त :- निम्न कारणों के आधार पर संस्था को सदस्यता समाप्त
 समझी जायेगी :-
- 1] किसी सदस्य के मृत्यु होने पर ।
 2] किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दीकत होने पर ।
 3] किसी सदस्य के पागल या दिवंगत होने पर ।
 4] किसी सदस्य के स्वयं लिखित त्याग-पत्र देने पर ।
 5] किसी सदस्य के निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न करने
 पर ।
 6] किसी सदस्य के संस्था के विरुद्ध हानिकारक कार्य करने
 पर ।

- 6- संस्था के अंग :- संस्था के दो अंग होंगे :-
 अ- साधारण सभा
 ब- प्रबंधकारिणी समिति ।

- 7- साधारण सभा :- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के
 कालम नम्बर चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया
 जायेगा ।

----- 2 पर

सत्य प्रतिलिपि
 कल
 कलकत्ता विश्वविद्यालय
 विभाग, 33, बंगला, बाराणसी

प्रतिलिपि कल
 विभाग कल

P.K. Bodar
 अध्यक्ष

विमला यादव महाविद्यालय
 स्कावस पट्टी भित्तरी गाजीपुर

/2/

ब- बैठकें :-

साधारण सभा के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

स- सूचना अध्याय :-

साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

द- गणपूर्ति :-

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों के कम से कम 2/3 उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

घ- वार्षिक अधिवेशन :-

संस्था का वार्षिक अधिवेशन 15 अगस्त के अवसर पर हर वर्ष हुआ करेगा।

र- साधारण सभा के अधिकार स्व कर्तव्य :-

=====

Kapish S Singh Yadav
विमला यादव
Prakash Yadav
Prakash Yadav

118 संस्था के गत वर्ष के बजट स्व कार्यकर्ताओं आदि पर विचार करना तथा आगामी वर्ष के लिये स्वीकृत प्रदान करना।

128 संस्था के नियमों स्व विनियमों में नियमानुसार संशोधन स्व परिवर्तन हेतु स्वीकृत प्रदान करना।

138 प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों स्व सदस्यों का चुनाव नियमानुसार करना।

148 प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों स्व सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार कर उसे स्वीकृत करना।

8- प्रबंधकारिणी समिति :-

अ- गठन :-

साधारण सभा के बहुमत से प्रबंधकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक/मंत्री, उपप्रबंधक/उपमंत्री, कोषाध्यक्ष के अलावा 6 प्रबंधसमिति के सदस्य होंगे।

ब- बैठकें :-

प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकता है।

स- सूचना अध्याय :-

प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 10 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से एक दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

सत्य प्रति लिपि

संस्था के निदेशक
कमल यादव एवं
विद्युत, 30 प्र०, गाराणली

----- 3 पर

विमला यादव
प्रकाश यादव

Prakash Yadav
प्रकाश यादव

विमला यादव महाविद्यालय
प्रकाश यादव पट्टी भितरी-गाजीपुर

/3/

८- गपपूर्ति :-

प्रबंधकारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों स्व सदस्यों के कम से कम 2/3 उपस्थिति में सभी बैठकों की गपपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी ।

९- रिक्त स्थानों को पूर्ति :-

प्रबंधकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के बहुमत से बोध आयोग के लिये साधारण सभा के सदस्यों में से किसी भी योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया जायेगा ।

१०- प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार स्व कर्तव्य :-

Rajesh Singh Yadav
विमला यादव
M.K. Yadav
S.S. Yadav

१। संस्था के लिये अनुदान, दान, चन्दे, उपहार सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं आदि से प्राप्त करना ।

२। संस्था के आय-व्यय-स्व वार्षिक बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना ।

३। संस्था की तुल्य रूप से संघालन के लिये उपसमितियों का गठन करना ।

४। वैतानिक कर्मचारियों को नियुक्त विमुक्त आदि के लिये निर्णय देना ।

५। संस्था के लिये वडा-अथवा सम्पत्तियों की रक्षा करना ।


६। अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो संस्था के हित में आवश्यक हो ।

११- कार्यकाल :-

प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा ।

१२- प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार स्व कर्तव्य :-

अध्यक्ष



१। संस्था के साधारण सभा स्व प्रबंधकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।

२। किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर एक अलग से निर्णायक मत देना ।

३। बैठक करने के लिये प्रबंधक/मंत्री के राय से दिनांक का अनुमोदन करना तथा उसमें परिवर्तन करना ।

४। अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे ।

सदस्य प्रतिलिपि

विमला यादव
प्रबंधकारिणी समिति
विद्युत, ७० प्र०, पुरातपरी

4 पर
विमला यादव

विमला यादव महाविद्यालय
पुरातपरी

उपअध्यक्ष :-

प्रबंधक/मंत्री :-

Krishan Singh Yadav
विमला यादव
P.K. Yadav
S.S. Yadav

/4/

अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा उनके निर्देशों का पालन करना ।

§1§ संस्था के लिये अनुदान, दान, चन्दे, उपहार एवं तदस्यता मुक्त प्राप्त करना तथा उसके लिये व्याविधि रसीदें देना ।

§2§ आय-व्ययानुसार सामान्य एवं विशेष आवश्यक बैठक बुलाना कोरम के अभाव में बैठकें स्थगित करना ।

§3§ बैठक करने के लिये सभी सदस्यों को सूचनाएँ देना तथा बैठक में की गयी कार्यवाही को लिखना ।

§4§ वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशि आदि का भुगतान स्वीकृत करना ।

§5§ वैतनिक कर्मचारियों की विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।

§6§ आय-व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना तथा आडिट कराना ।

§7§ संस्था से संबंधित कागजातों, प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना ।

§8§ संस्था को और से पत्र-व्यवहार करना ।

§9§ अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना ।

§10§ समय-समय पर संस्था के हित में आवश्यक सुझाव देना ।

§11§ अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे ।

उपप्रबंधक/उपमंत्री :-

कोषाध्यक्ष :-



प्रबंधक/मंत्री के अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा उनके निर्देशों का पालन करना ।

§1§ संस्था के निर्दिष्ट एवं सम्पत्तियों के लेख को तैयार करना ।

§2§ आय-व्यय का हिसाब किताब तैयार कर उसे प्रबंधक/मंत्री को देना ।

§3§ अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे ।

10- संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

=====

अध्यक्ष प्रतिलिपि

विमला यादव

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा ।

विमला यादव

P.K. Yadav

विमला यादव महाविद्यालय
एकादश पदटी भितरी-गाजीपुर

11- संस्था का कोष :- किसी भी स्थायी राश्ट्रीय बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से वाता बोलकर संस्था का समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संवाहन प्रबंधक/सूची के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा ।

12- संस्था के आय-व्यय का लेवा परीक्षण आर्डर :-

Kajesh Singh, Pradhan
विमान परिवहन संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबंधकारणी सीमांत द्वारा नियुक्त आय- व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय-व्यय का लेवापरीक्षण कराई जायेगा ।


13- संस्था द्वारा अर्था उसके विरुद्ध अदावती कार्रवाई का उत्तरदायित्व :-

V.K. Prasad
S.S. Prasad संस्था द्वारा अर्था उसके विरुद्ध लगाये गये अदावती कार्रवाई के संवाहन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधक/सूची पर होगा ।

14- संस्था के अधिकार :- संस्था के निम्नलिखित अधिकार होंगे :-

- 11] कार्रवाई रजिस्टर
- 12] सक्षयता रजिस्टर
- 13] स्टाक रजिस्टर
- 14] बैंक बुक आदि होंगे ।

15- संस्था के विघटन :- संस्था के विघटन तथा विघोटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्रवाई बोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।



सत्य-प्रीतीतिथि

हस्ताक्षर

दिनांक- 15/11/2004

आस्था प्रतिनिधि

विमान परिवहन संस्था

16.11.04

Handwritten signature and date

V.K. Prasad

विमला अक्षय महाविद्यालय
प्रकाश पदवी भितरी-गाजीपुर